**फर्द अहकाम**

**अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर**

दलाराम पुत्र टीकमाराम वगैराह बनाम मूलीदेवी पुत्री टीकमाराम वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम संख्या 250/2023

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.07.2025 | विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री के.सी. चौधरी, उपस्थित।<br><br>विद्वान राजकीय अधिवक्ता, श्री नवल सिंह दहिया, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 6 उपस्थित।<br><br>विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा के जरिये पत्रावली विड्रो करने बाबत् दिनांक 28.07.2025 को प्रस्तुत किया गया। उन्होने उक्त प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि अपील में अपीलाण्ट संख्या दो श्रीमती गवरी बेवा खेराजराम पक्षकार है तथा उनका दो माह पूर्व देहान्त हो चुका है इस कारण अब मुझ अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट्स के मध्य आपस में आपसी समझाईश व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है, इस कारण अपीलार्थी इस अपील में रेस्पोंडेण्ट्स के विरूद्व आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नही चाहते है। अतः पत्रावली को जरिये विड्रो खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।<br><br>अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा के जरिये पत्रावली विड्रो करने बाबत् दिनांक 28.07.2025 एवं पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। विड्रो का प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.07.2025 अपीलाण्ट दलाराम वगैराह के विद्वान अधिवक्ता श्री के.सी. चौधरी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।<br><br>अतः ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अपील विड्रो का स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड वापस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।<br><br>**(डॉ0 प्रतिभा सिंह)**<br>**सम्भागीय आयुक्त,**<br>**जोधपुर** | |

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर